ग्रामीण विकास हेतु धनराशि का वर्ष के अन्त में व्यय किया जाना

1514. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का बड़ा भाग वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यय कर रहा है ।

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई धनराशि का योजना-वार ब्यौरा क्या है और यह व्यय, विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित कुल धनराशि का कितना प्रतिशत है;

(ग) धनराशि का अधिकांश भाग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार ने निधियों के समुचित उपयोग के लिए क्या प्रयास किए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) और (ख) प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम अर्थात् (1) सन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2) जवाहर रोजगार योजना, (3) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम, (4) सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और (5) मरूभूमि विकास कार्यक्रम के संबंध में गत वित्तीय वर्ष अर्थात् 1992-93 की अंतिम तिमाही के दौरान उपयोग/खर्च के प्रतिशत को दर्शाने वाला विवरण निम्नलिखित है :—

	कार्यक्रम	1992-93 की अंतिम तिमाही के दौरान प्रतिशत उपयोग/खर्च
(1)	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	45.94 प्रतिशत
(2)	जवाहर रोजगार योजना	49.40 प्रतिशत
(3)	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	45.43 प्रतिशत
(4)	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	48.79 प्रतिशत
(5)	मरूभूमि विकास कार्यक्रम	48.29 प्रतिशत

(ग) और (घ) अंतिम तिमाही के दौरान खर्च की दर कुछ हद तक ऊंची दर के कार्यक्रमवार कारण और साथ ही उपयोगों को सुव्यवस्थित करने के प्रयास नीचे दर्शाये गये हैं :—

(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

बरसात के मौसम के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में गतिविधियां पूर्ण उत्साह से नहीं चलती हैं । परिणामस्वरूप, नवम्बर से और आगे खर्च अधिक होता है । फिर प्रारंभ के महीनों में धीमी वापस अदायगी के कारण धीमी ऋण उपलब्धता तथा खण्ड बैंक प्रशाखा स्तर पर उचित आयोजना की कमी की अंतिम तिमाही में ऊंचे खर्च का कारण है ।

निधियों के उपयोग के समान वितरण के लिए तिमाही बजट प्रणाली और वार्षिक लक्ष्यों का प्रावधान है जिसके द्वारा संबंधित तिमाहियों में 15 प्रतिशत, 40 प्रतिशत, 75 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत समग्र खर्च किया जाना चाहिए । दूसरी किश्त में कटौती करने का भी प्रावधान है, यदि निधियों का उपयोग दूसरी तिमाही तक पर्याप्त स्तर तक नहीं हुआ है । जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों को पहले ही निर्देश जारी किये गये हैं कि वे 1994-95 के लिए उचित आयोजना करें तथा तिमाही लक्ष्यों को प्राप्त करें ।

(2) जवाहर रोजगार योजना

जलवायु परिस्थिति और भारी वर्षा की वजह से देश के कुछ भागों में वर्ष की पहली और

दूसरी तिमाहियों में जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वियन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में राज्यों द्वारा और जिलों द्वारा कार्यान्वियन एजेंसियों अर्थात् ग्राम पंचायतों को निधियों रिलीज करने में विलंब हो जाता है। इसके अलावा, पहली तिमाहियों में देश के कुछ भागों में कृषिगत कार्यों में रोजगार की उपलब्धता से वर्ष के पहले भाग में होने वाला खर्च भी प्रभावित होता है।

निधियों के उचित इस्तेमाल के लिए सभी प्रयास किये जाते हैं। इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकारों से प्राप्त मासिक, तिमाही तथा वार्षिक रिपोर्टों की मार्फत निधियों के इस्तेमाल की प्रगति की निरंतर निगरानी रखी जाती है। इसके अलावा, विभिन्न स्तरों, केन्द्र, राज्य, जिला और खंड स्तर के अधिकारी निर्धारित मार्गदर्शिकाओं के अनुसार कार्यों का निरीक्षण करते हैं। ग्रामीण विकास हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति भी कार्यक्रमों के कार्यान्वियन की निगरानी रखती है।

(3) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम

उत्तर पूर्वी राज्यों और कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में काम का मौसम बाद वाले 4-5 महीनों के दौरान ही रहता है क्योंकि पहले छः महीनों के दौरान भारी वर्षा होती है और बाढ़ आ जाती है, दूसरे हैंडपंप योजनाओं की तुलना में पाइप द्वारा जल सप्लाई की योजनायें पूरा होने में काफी समय लगता है तथा सामग्री की खरीद पूरे वर्ष नहीं हो सकती है।

जहां तक रिलीजों का संबंध है, प्रक्रिया के तहत पूरी राशि प्रत्येक वर्ष के 31 दिसंबर से पूर्व रिलीज करनी होती है ! तथापि, कतिपय वित्तीय औपचारिकताओं के पूरा न होने की वजह से कुछ रिलीजें वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में की जाती हैं।

(4) व (5) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम

कुछ राज्यों में कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना और क्षेत्रगत योजनायें समाप्त हो रहे वर्ष मार्च माह तक अनुमोदित नहीं की जाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कार्यों को अगले वर्ष में शुरू करने में विलंब होता है और इससे खर्च को अंतिम तिमाही तक के लिए स्थापित करना पड़ता है। इसके अलावा, कार्यान्वियन एजेंसियों द्वारा उसी तिमाही, जिसमें खर्च किया गया है में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को खर्च के लेखा प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं। इसलिए पिछली तिमाहियों में किया गया खर्च भी अंतिम तिमाही दिखाया जाता है।

उपरोक्त समस्याओं से निपटने के लिए, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जिला वार्षिक कार्य योजनायें एवं क्षेत्रीय योजनाएं राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा समाप्त होने वाले वर्ष के मार्च माह तक अनुमोदित हो जायें और खर्च को उसी तिमाही में दिखाया जाय जिसमें खर्च किया गया है।

Changes in J.R.Y.

1515. CHOWDHRY HARI SINGH : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government are proposing to effect changes in the J.R.Y. during the 8th Five Year Plan ;

(b) if so, the details thereof and what was the original estimate of allocation made by Government in the budget and revision made for 1992-93 ; and

(c) whether Government would utilise the revised budget allocation for JRY for 1992-93 as per guidelines throughout the country ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI RAMESHWAR THAKUR) : (a) and (b) On the basis of the experience gained during the implementation of the wage-employment programmes, certain changes have been made with regard to the utilisation of funds and effective functioning of Jawahar Rozgar Yojna (JRY